(358)

संख्या:– / I I–2012–03(31)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार ढ़ौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2013

विषय : **सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अन्तर्गत स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में–राज्य सैक्टर।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1702/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27(योजना), दिनांक 07.07.2011, पत्र संख्या–494/मुअवि/नि0अनु0/पी–27(योजना), दिनांक 30.03.2012 एवं पत्रांक 1267/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी–27(योजना), दिनांक 05.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **संलग्नक–1** में अंकित 02 सं0 योजनाओं के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यों के लिए गठित आगणन ₹ 35.27 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 30.60 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 30.60 लाख (₹ तीस लाख साठ हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दियां जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

क्रमशः........2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (किशाऊ बांध को सम्मिलित करते हुए) 03–निर्माण कार्य–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–167/XXVII(2)/2013, दिनांक 18 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्याः– 185 (1)/II–2012–03(31)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
7. कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

अनु सचिव।